आदेश	कार्यवाही विवरण
13/3/23	पत्रावली पेश हुई । आज ... संघ द्वारा ... कार्य स्थगित रखा गया है । अतः पत्रावली ... कार्यवाही दिनांक 10/5/23 को पेश हो [signature]
2/5/23	पत्रावली आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान - 2023" ... में पेश हुई। कैम्प कोर्ट ... वकील/ पक्षकारान उप./ अनु.। पक्षकारान ... में समझाईश की गई। राजीनामा ... हुआ। ... पत्रावली न्यायालय हाजा में दिनांक 7/6/23 को पेश हो ... [signature] शिविर प्रभारी प्रशासन गाँवो के संग अभि.2023, पं.स. नवलगढ़
7/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी/प्रतिवादी ने जवाब जमा हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। मिसल दिनांक 20/6/23 को पेश हो [signature] ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़
20.6.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गई, पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3.7.2023 को पेश हो। [signature] ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़
3/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। कार्य अधिकता नही होने से आदेश नही लिखवाया जा सका। बहस मजीद सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/7/23 को पेश हो। [signature] ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़
10/7/23	वकील पक्षकारान ... वादी का प्रार्थना पत्र धारा 10 CPC स्वीकार किया ... है तथा वाद वादी खारिज किया जाता है ... से लिखवाया आदेश स्वतः मे किया गया। पत्रावली फैसल शुमार ... दर्ज रजिस्टर ले कर हो। बाद तकमील ... दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested

3

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 74/2016

मोहन सिंह बनाम विरेन्द्र सिह आदि

दावा : स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र – अंन्तर्गत धारा 10 सी॰पी॰सी॰

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी–श्री अशोक कुमार जागिड़
ऐडवोकेट प्रति॰प्रार्थी – श्री किशोर कुमार जागिड़

आदेश

दिनांक 10.07.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उनवानी वाद ग्राम झाझड में स्थित भूमि खसरा नम्बर 40, 418, 419, 505, 506, 507 रकबा क्रमशः 0.60, 0.04, 0.74, 0.42, 0.06, 1.15 हैक्टर बाबत मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पूर्व से ही इसी न्यायालय में विचाराधीन है जो कि प्रार्थी/वादी द्वारा पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा के साथ में काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया है। विचाराधीन वाद के मु.न. 114/2014 है।

उपरोक्त वर्णित पूर्ववर्ति वाद मुकदमा नम्बर 114/2014 खसरा नम्बर 40, 418, 419, 505, 507 ग्राम झाझड के खातेदारान के मध्य विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा काउन्टर क्लेम घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते पेश किया गया थो उसी आराजीयात बाब उन्ही पक्षकारान के मध्य यह वाद पुनः पेश किया जाना न्यायोचित नही है तथा चलने योग्य नही है।

समान आराजीयात व समान पक्षकारान के मध्य उसी न्यायालय में वाद पेश किया जाना कानून के विरूद्ध है तथा रोक दिये जाने योग्य है यहां तक कि वकील भी वही है जिनको समस्त तथ्यों व परिस्थितियों की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय का समय व स्टेशनरी का दुरूपयोग करने मात्र के लिए उक्त वाद मुकदमा नम्बर 50/2021 पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

यह है कि उन्ही आराजीयात व उन्ही पक्षकारो के मध्य उपरोक्त प्रकार से वादो की पुनरावृति किये जाने से वादों की अनावश्यक बहुलता होती है तथा न्यायालय व पक्षकार का समय बर्बाद होता है तथा अंतहीन विवाद हो जाता है जिसे रोकने क लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात बाबत खातेदारान के मध्य विचाराधीन वाद मु.न. 114/2014 अन्तिम स्टेज पर है जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी होते हुये न्यायालय [illegible] वाद की निपटारा करने की ओर अग्रसर होने में नाजायज व्यवधान पैदा करने के लिए [illegible] पेश कर दिया जो मय हर्जा खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested

Sec. 10 And 151 CPC

ए.सी.ई.एम. (फा. ..)
नवलगढ

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद वादी मु. न. 50/2021 की कार्यवाही को रोक दिया जाकर पूर्ववर्ती वाद मु.न. 114/2014 को निस्तारित किया जाकर होने वाले निर्णय ही इस वाद का निर्णय माना जावे ऐसा आदेश किये जाने कृपा करे।

वकील अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया गया। अप्रार्थी/वादी का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है। तथा बहस प्रार्थना पत्र वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का विरोध प्रकट किया तथा प्रार्थी को वाद 50/2021 की कार्यवाही जारी रखने का निवेदन किया गया है।

बहस वकील पक्षकारान का मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उनवानी वाद 50/2021 ग्राम झाझड में स्थित भूमि खसरा नम्बर 40, 418, 419, 505, 506, 507 रकबा क्रमशः 0.60, 0.04, 0.74, 0.42, 0.06, 1.15 हैक्टर बाबत मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थी/वादी द्वारा पेश किया गया है। दर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद 114/2014 पूर्व से ही इसी न्यायालय में विचाराधीन था जो कि प्रार्थी/वादी द्वारा पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया जा चुका था। उपरोक्त वर्णित पूर्ववर्ती वाद मुकदमा नम्बर 114/2014 खसरा नम्बर 40, 418, 419, 505, 507 ग्राम झाझड के खातेदारान के मध्य विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा काउन्टर क्लेम घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते पेश किया गया थो उसी आराजीयात बाबत उन्ही पक्षकारान के मध्य पुनः वाद 50/2021 प्रस्तुत कियां जाना न्यायोचित नही है। समान आराजीयात व समान पक्षकारान के मध्य उसी न्यायालय में वाद पेश किया जाना कानून के विरूद्ध है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 114/2014 में प्रतिवादीगणो की ओर से अधीवक्ता भी वही थे जो हस्तगत वाद में है जिनको समस्त तथ्यों व परिस्थितियों की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय का समय व स्टेशनरी का दुरूपयोग करने मात्र के लिए उक्त वाद मुकदमा नम्बर 50/2021 पेश किया है जो उचित नही है। समान आराजीयात व समान पक्षकारो के मध्य उपरोक्त प्रकार से वादो की पुनरावृति किये जाने से वादो की अनावश्यक बहुलता होती है तथा न्यायालय व पक्षकार का समय बर्बाद होता है तथा अंतहीन विवाद हो जाते होगे। वर्णित आराजीयात बाबत खातेदारान के मध्य विचाराधीन वाद मु.न. 114/2014 अन्तिम निर्णय दिनांक 16.01.2023 को पारित हो चुका है।

चूंकि उक्त वाद में वर्णित सम्पति के सम्बन्ध में पूर्व में विचारित वाद प्रकरण संख्या 114/2014 में प्राथमिक निर्णय जारी कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने ... विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2023 को जारी हो चुकी ... न्यायालय द्वारा उसी सम्पति के सम्बन्ध में उन्ही पक्षकारान के मध्य विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के दो बार निर्णय पारित नही किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

जा सकते है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत वादों की पुनरावृति वर्जित है। इस प्रकार उसी सम्पति के सम्बन्ध में उन्ही पक्षकारान के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पोषणीय नही है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी स्वीकार की जाती है तथा वाद वादी पोषणीय नही होने खारिज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। आदेश आज दिनांक 10.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक एवं अपर (ज.ड.)(क.ख.)
नवलगढ़ मुख्यालय झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested

6

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰) सहायक कलक्टर नवलगढ.

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 50/2021 (मोहन सिंह बनाम विरेन्द्र सिंह आदि वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर॰ ए॰ एस॰),सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक), नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **10.07.2023** निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **10** माह 07 सन **2023** को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
स.ली.ई.एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ
सहायक कलक्टर नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	00.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	02.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	02.00
कुल	08.00		04.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:23 IST
Reason: SelfAttested